राजस्व वाद संख्याः—185 / 2019
विनोद वगै0 बनाम निक्की वगै0
निर्णय दिनांकः— 17/06/2025.......

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः— **श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)**

मु0नं0 185 / 2019

01. विनोद पुत्र बिहारी लाल, जाति महाजन, निवासी बड़सरी का बास, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुंझुनूं राजस्थान।
02. लक्खी पुत्र नारायण, जाति महाजन, निवासी बड़सरी का बास, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

01. निक्की पुत्र ओमप्रकाश
02. विजय पुत्र बजरंग नविरा खेमचन्द
03. मनोज पुत्र बजरंग नविरा खेमचन्द
04. सुभाष पुत्र बजरंग नविरा खेमचन्द
05. श्रवण पुत्र बजरंग नविरा खेमचन्द
06. शंकर पुत्र बजरंग नविरा खेमचन्द
07. जुगल किशोर पुत्र बजरंग नविरा खेमचन्द
08. सुशील पुत्र गोरीशंकर नविरा बदरूराम
09. नंदकिशोर पुत्र गोरीशंकर नविरा बदरूराम
10. गोविन्दराम पुत्र जयनारायण
11. मदनलाल पुत्र जयनारायण
12. घनश्याम पुत्र जयनारायण
13. नरोत्तम पुत्र विशाल नविरा महादेवलाल
14. इन्द्र पुत्र विशाल नविरा महादेवलाल
15. विजय पुत्र विशाल नविरा महादेवलाल
16. सीताराम पुत्र जगदीश
17. नरेश पुत्र जगदीश
18. छोटेलाल पुत्र जगदीश
19. शम्भू पुत्र मुंगाराम
20. विनोद पुत्र मुंगाराम
21. परषोतम पुत्र नाराणा
22. बाबूलाल पुत्र नाराणा
23. पुष्कर पुत्र नाराणा
24. पितराम पुत्र नाराणा
25. बिहारीलाल पुत्र मथुरा प्रसाद

समस्त जाति महाजन, निवासीगण बड़सरी का बास, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

26. उपपंजियक, उप पंजियन अधिकारी सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)
27. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)

—प्रतिवादीगण

उपस्थितः— वादीगण अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:—185/2019
विनोद वगै0 बनाम निक्की वगै0
निर्णय दिनांक:— 17/06/2025......

दावा बाबत घोषणार्थ, एवं रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय

वादीगण ने घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती हेतु निवेदन किया कि सरहद ग्राम बड़सरी का बास, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं राजस्थान में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 63 रकबा 9 बीघा 1 बिश्वा रंगलाल पुत्र दयारामदास जाति महाजन, निवासी बड़सरी का बास, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं राजस्थान की कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि रही है।

यह कि रंगलाल पुत्र दयारामदास जाति महाजन, निवासी बड़सरी का बास ने अपनी उक्त अंकित आराजियात को स्टेट बैंक ऑफ बीकानरे एण्ड जयपुर शाखा सूरजगढ से ऋण लेकर भूमि बैंक मे पास गिरवी रख दी थी।

यह कि उक्त रंगलाल ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानरे एण्ड जयपुर शाखा सूरजगढ को भूमि गत खसरा नम्बर 63. रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा बाबत लिया, ऋण अदा नहीं कर पाया इसलिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा ब्रांच मैनेजर सूरजगढ सिविल न्यायाधीश झुन्झुनूं में दावा पेश किया जाकर दावा डिक्री हुआ तत्पश्चात वर्णित आराजियात को नियमानुसार निलाम किया गया जिसे निलामी में श्रीमती रेवती देवी पत्नी श्री बिहारीलाल, जाति महाजन, निवासी बड़सरी का बास, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं में 15000/— रूपयें अंकेही पन्द्रह हजार रूपयें में क्रय कर लिया व विधिवत विक्रय पत्र क्रेत्री रेवती पत्नी बिहारी लाल के नाम लिखवाया जाकर तस्दीक किया गया किन्तु क्रेत्री रेवत्ती देवी अनभिज्ञता व जानकारी के अभाव में क्रयशुदा भूमि खसरा नम्बर 63 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज नहीं करा सकी।

यह कि क्रेत्री रेवती देवी पत्नी बिहारीलाल जाति महाजन, निवासी बड़सरी का बास, तहसील सुरजगढ ने अपनी क्रयशुदा भूमि खसरा नम्बर 63 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा को क्रय दिन से ही विधिवत कब्जा प्राप्त करके काश्त करना शुरू कर दिया था। कुछ समय पश्चात रेवती देवी पत्नी बिहारीलाल ने अपनी क्रयशुदा भूमि खसरा नम्बर 63 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा को विक्रय पत्र (रजिस्ट्री) अपने बड़े पुत्र विनोद कुमार पुत्र बिहारीलाल, जाति महाजन, निवासी बड़सरी का बास, एवं लक्खी प्रसाद पुत्र नारायण, जाति महाजन, निवासी बड़सरी का बास, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं के पक्ष में 27500/— रूपयें अंकेही सताई हजार पांच सौ रूपयें विक्रीत भूमि की सम्पूर्ण रकम प्राप्त कर विधिवित रूप से क्रेतागण विनोद कुमार व लक्खी प्रसाद के पक्ष में विक्रय पत्र लिखवाकर संबंधित उप पंजियक अधिकारी से विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया और विक्रीत भूमि का विधिवत कब्जा क्रेतागण को सम्मला दिया जो आज तक भी क्रय दिनांक से कब्जा काश्त क्रेतागण का चलता आ रहा है।

यह कि वादीगण ने वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड दिनांक 22/10/19. को प्राप्त किया तब वादीगण को पता चला कि सरहद. ग्राम बड़सरी का बास स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 63 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा सम्पूर्ण रकबा का राजस्व रिकार्ड क्रेत्री रेवती देवी पत्नी बिहारीलाल के नाम अंकित नहीं हुआ है। 9 बीघा 1 बिस्वा भूमि मे से मात्र 1/3 हिस्सा भूमि का ही राजस्व रिकार्ड रेवती देवी के नाम दर्ज हुआ है जो कानूनी गलत है क्योकि रेवती देवी ने गत खसरा नम्बर 63 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा भूमि को विधिवत रूप से क्रय किया था व विधिवत रूप से ही 9 बीघा 1 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण व राजस्व रिकार्ड क्रेत्री रेवती देवी के नाम अंकित होना चाहिए था।

यह कि सरहद ग्राम बड़सरी का बास स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 63 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 47 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.74 हेक्टर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0. 63 हैक्टर में कायम हुए है जो वादीगण की कब्जे काश्त की आराजियात होने से राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अंकित होनी चाहिए क्योंकि वादीगण ने उक्त वर्णित आराजियात रेवती देवी पत्नी बिहारीलाल, जाति महाजन, निवासी बड़सरी का बास, तहसील सूरजगढ से 27500/— रूपयें मे दिनांक 02.08.1986 को क्रय करके विधिवत कब्जा प्राप्त कर लिया था जो आज तक निरन्तर चलता आ रहा है। वादीगण ने अपनी आराजियात की कब्जे काश्त पर वर्णित आराजियात का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः—185/2019
विनोद वगै0 बनाम निक्की वगै0
निर्णय दिनांकः—17/06/2025.....

लिए दिनांक 27/10/19 को संबंधित राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया तो वादीगण को पता चला कि सरहद ग्राम बड़सरी का बास, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 63 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा जिसके हाल हाल खसरा नम्बर 47 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 49 रकबा 0. 74 हैक्टर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.63 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2. 29 हैक्टर का राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 25 के नाम दर्ज है जो गलत है। जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में हज्फ किया जाकर वादी संख्या 1. विनोद व वादी नं. 2 लक्खी प्रसाद के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर वादीगण को ब.हि.ब. भूमि के खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाना जरूरी जो न्यायोचित है किया जावें।

यह कि जमाबंदी में श्यामसुन्दर पुत्र बदरूराम नाऔलाद फौत हो चुका है जिसके वारिसान पक्षकार वाद बनाये जा सकते है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार जिन व्यक्तियों के नाम वर्तमान जमाबंदी में गलत रूप से अंकित दर्ज हुए है और जो फौत हो चुके है किन्तु जिनका नाम विरासत राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं हुआ है उन वारिसान को भी मृतक प्रतिवादीगण के स्थान पर पक्षकार प्रतिवादीगण बनाये गये है ताकि वाद में कोई कानूनी नुक्श ना रहे।

यह कि वादीगण ने दिनांक 2019 वर्तमान को राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया और पता चला कि वर्णित आराजियात का राजस्व रिकार्ड भूल से व राजस्व अधिकारियों की अंदेखी के कारण वादीगण के नाम अमल दरामद नहीं किया गया है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 का नाम राजस्व रिकार्ड से हज्ब किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर वर्णित आराजियात के खातेदार काश्तकार वादीगण को इस भूमि का बहिस्सा बराबर हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने का आदेश किया जावे।

यह कि वाद वर्णित आराजियात राजस्व रिकार्ड गलत रूप से व राजस्व अधिकारियों की भूलवश वादीगण के बजाये प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गया है जिस की आड़ में प्रतिवादीगण वादीगण की वाद वर्णित आराजियात को गलत कायम हुये राजस्व रिकार्ड के आधार पर किसी भी दीगर व्यक्ति को अथवा अन्य किन्ही भू माफिया व्यक्तियों को विक्रय गिरवी रहन अथवा किसी अन्य तरीके से हस्तान्तरण कर सकते है और वादीगण के वर्णित भमि के कब्जे काश्त मे व भूमि के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा कारित कर सकते है इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि भूमि गत खसरा नम्बर 63 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 47 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.74 हेक्टर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.63 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.29 हैक्टर भूमि स्थित बड़सरी का बास, तहसील सूरजगढ को प्रतिवादीगण द्वारा गिरवी रहन, विक्रय अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण न किया जावे तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित न की जावें।

(क) कि याद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण दावा डिक्री किया जाकर सरहद ग्राम बड़सरी का बास, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं भूमि गत खसरा नम्बर 63 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 47 रकबा 0.92 हेक्टर, खरारा नम्बर 49 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.63 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.29 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 के नाम दर्ज है उसके स्थान पर उक्त वर्णित खसरान रकबा 2.29 हेक्टर की खातेदारी बहिस्सा बराबर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश किया जाकर व राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर गत खसरा नम्बर 63 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 47 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.63 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.29 हैक्टर के खातेदार वादीगण को घोषित किये जावे।

(ख) कि प्रतिवादीगण को इसलिए भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि सरहद ग्राम बड़सरी का बास, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 63 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 47 रकबा 0.92 हेक्टर, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.63 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.29 हैक्टर भूमि को प्रतिवादीगण विक्रय गिरवी रहन अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित ना करें और राजस्व रिकार्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः–185 / 2019
विनोद वगै0 बनाम निक्की वगै0
निर्णय दिनांकः–17/06/2025........

वादीगण के कब्जे काश्त में व यादीगण के उपयोग उपभोग में स्वयं अथवा अपने किन्ही व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी किसी प्रकार बाधा कारित नहीं करे।

वाद पत्र दिनांक 17.12.2019 को पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 20.01.2020 नियत की गयी। प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादी द्वारा साक्ष्यवादी पेश किये गये। वकील वादी ने वाद का मुताबिक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन पश्चात वाद वादीगण अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अंतिम डिकी किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः वाद वादीगण अंतिम डिकी किया जाता है कि वाके ग्राम बड़सरी का बास, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं भूमि गत खसरा नम्बर 63 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 47 रकबा 0.92 हेक्टर, खरारा नम्बर 49 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.63 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.29 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 के नाम दर्ज है उसके स्थान पर उक्त वर्णित खसरान रकबा 2.29 हेक्टर की खातेदारी बहिस्सा बराबर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है एंव राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर गत खसरा नम्बर 63 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 47 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.63 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.29 हैक्टर के खातेदार वादीगण को घोषित करने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाये उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 17/06/2025.... को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः—185 / 2019
विनोद वगै0 बनाम निक्की वगै0
निर्णय दिनांकः—17/06/2025........

मूल वाद में (अंतिम) डिकी
(आदेष 20 के नियम 6 और 7)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः— **श्रीमती सुमन देवी II (आर.ए.एस.)**

मु0नं0 185 / 2019

विनोद वगै0 बनाम निक्की वगै0
दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

वादीगण अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 17/06/2025..............को श्रीमती सुमन देवी II उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिकी दी जाती है कि—

अतः वाद वादीगण अंतिम डिकी किया जाता है कि वाके ग्राम बड़सरी का बास, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं भूमि गत खसरा नम्बर 63 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 47 रकबा 0.92 हेक्टर, खरारा नम्बर 49 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.63 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.29 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 के नाम दर्ज है उसके स्थान पर उक्त वर्णित खसरान रकबा 2.29 हेक्टर की खातेदारी बहिस्सा बराबर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है एंव राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर गत खसरा नम्बर 63 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 47 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.63 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.29 हैक्टर के खातेदार वादीगण को घोषित करने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाये उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 17/06/2025......... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
सूरजगढ़